न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2341–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के प्रकरण कमांक 114/2010–11/पुनरीक्षण ।

.....

1–दीपक कुमार पिता बाबुलाल पाटीदार
2–श्रीमती विष्णुबाई बेवा बाबुलाल पाटीदार
निवासी ग्राम खिलेड़ी तहसील बदनावर जिला धार म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–आनंदीबाई बेवा मोहनलालजी पाटीदार
2–रेखाबाई पिता मोहनलालजी पाटीदार
3–अनुराधा पिता मोहनलालजी पाटीदार
निवासी ग्राम खिलेड़ी तहसील बदनावर जिला धारा म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री ओ.पी.गुप्ता एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषकगण–आवेदकगण
श्री पी.के.तिवारी, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8/9/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खिलेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 634, 635, 657, 658/1, 659, 660, 661, 665, 666, 667/1, 717, 733, 733/2, 790/1, 811/1, 662 एवं 663 कुल किता 15 कुल रकबा 12.893 हेक्टेयर भूमि मृतक मोहनलाल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी और अनावेदिका कमांक 1 मृतक मोहनलाल की पत्नी व अनावेदिका कमांक 2 व 3

उसकी पुत्रियॉ हैं । उपरोक्त भूमि में से सर्वे कमांक 733/2, 790/1 व 811/1 कुल किता 3 कुल रकबा 6.932 हेक्टेयर को छोड़कर शेष भूमियों पर अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत हो गया था, परन्तु इन नम्बरों पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण पंजी कमांक 1 पर पारित आदेश दिनांक 6–6–2000 से दर्ज कर दिया गया है । तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–10–09 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हित रखने वाले पक्षकार समुचित अवसर तथा विधिवत् विज्ञप्ति का प्रकरण नियमानुसार आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–3–2010 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–6–2012 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नामान्तरण पंजी पर सहमति से आदेश पारित हुआ है और सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 164 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि स्वर्गीय मोहनलाल द्वारा वर्ष 2000 में स्वेच्छा से अनावेदकगण के नाम दर्ज करा दी गई थी और उनके जीवनकाल में उक्त आदेश को चुनौती नहीं देने के कारण वह अंतिम हो गया है और ऐसे आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

(2) नामान्तरण आदेश दिनांक 6–6–2000 को पारित हुआ है और स्वर्गीय मोहनलाल की मृत्यु 26–4–2008 को हुई है, अतः 8 वर्ष तक अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी 8 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

(3) उभयपक्ष के मध्य प्रचलित व्यवहार वाद वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की खण्डपीठ इंदौर के समक्ष विचाराधीन होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31–10–2013 को स्थगन आज्ञा प्रदान की गई है । यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और स्वत्व के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने से राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

तर्क के समर्थन में 2007 आरएन 359, 2008 आरएन 103, 2015 आर.एन. 107, 2015(1)एम.पी.डब्ल्यूएन नोट नं.45 एवं 1984 आरएन 407 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 एवं 178(क) के अन्तर्गत कोई भी भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में बटवारा कर सकता है, जिसके लिये उसे तहसीलदार के समक्ष विधिवत् आवेदन पत्र करना होगा और तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज किया जाकर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर बटवारा आदेश पारित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार तहसीलदार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर फर्द बटवारा तैयार करायेगा और उनपर आपत्ति सुनकर विधिवत् बटवारा आदेश पारित करेंगे, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार

का आदेश निरस्त करने में प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत् विज्ञप्ति का प्रकाशन करते हुये आदेश पारित करें । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहॉ तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है और आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । जहॉ तक आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 8 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, इस संबंध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा सभी वारिसानों व हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में भी कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करनें में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर